vk/kkfxd izf'k{k.k laLFkku] Tokyh] rglhy Tokyh] ftyk dkxMk fgekpy izns'k ds fuf/k y[kks dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vads{k.k vof/k 4@05 ls 3@10

1 **xr vads{k.k izfrosnu %&**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :—

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@01 ls 3@03

1	पैरा 4(क)	निर्णीत	(वर्तमान में सुझावानुसार निवेश किए जा रहे हैं।)

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@03 ls 3@05

1	पैरा 3	निर्णीत	(पूर्व में निर्णीत)
2	पैरा 4	निर्णीत	(निवेश की जाँच कर ली गई है।)
3	पैरा 5	निर्णीत	(पूर्व में निर्णीत)
4	पैरा 6	निर्णीत	(पूर्व में निर्णीत)

2 **orZeku vads{k.k %&**

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान के निधि लेखों का अवधि 04 / 05 से 03 / 10 तक का वर्तमान अंकेक्षण / जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.10 से 18.12.10 तक के दौरान संस्थान के कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया :—

Øa0la0	o"kZ	p;fur ekl ¼vk;½	p;fur ekl ¼O;;½
1	2005—2006	02 / 2006	07 / 2005
2	2006—2007	11 / 2006	07 / 2006
3	2007—2008	09 / 2007	07 / 2007
4	2008—2009	07 / 2008	03 / 2009
5	2009—2010	08 / 2009	02 / 2010

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा ऐसी सूचना जो अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल चयनित महीनों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निम्न विवरणानुसार, प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :–

Øe la[;k	i/kkukpk;Z dk uke	vof/k
1	श्री भगवन्त सिंह	01.04.05 से 15.06.05
2	श्री किषोरी लाल डोगरा	16.06.06 से 06.07.05
3	श्री भगवन्त सिंह	07.07.05 से 09.01.06
4	श्री किषोरी लाल डोगरा	10.01.06 से 19.10.06
5	श्री ई0 संजीव सहोत्रा	20.10.06 से 22.04.09
6	श्री ई0 पी0एल0 शर्मा	23.04.09 से लगातार

3 vads{k.k 'kqYd %&

संस्थान के निधि लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹3000/– आंका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु, संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस0 (ऑडिट) 2010/66, दिनांक 18.12.2010 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त राशि को यथाषीघ्र निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009 के नाम पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना सुनिष्चित किया जाए।

4 foÙkh; fLFkfr %&

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निधि लेखों (छात्र कल्याण निधि) की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट–क पर दिया गया है।

5 fuo'k %&

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार दिनांक 31.03.10 को निवेष की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

Ø0l0	fnukd	,Q0Mh0vkj0 l[;k	fuosf'kr jkf'k	nj	vof/k	ifjiDork fnukd
1	11.03.10	1084426 K.C.C Bank	872333/–	6.25%	1 वर्ष	10.03.11
		dqy ;ksx	₹872333@&			

सावधि जमा योजना में निवेषित राशि का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर दिया गया है। संस्थाध्यक्ष को परामर्ष दिया जाता है कि परिपक्वता दिनांक पर निवेश को खातों में डालना या पुर्निवेषित किया जाना सुनिष्चित करें ताकि सावधिक जमा के रूप में अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

6 'kqYd rFkk vU; pkftZt dh :i esa ₹675@& de olwy djus ckjs %&

रोकड़ बही पृष्ठ संख्याः 73 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि सत्र 2006–2007 में COPA ट्रेड की छात्रा सरोज कुमारी से केवल ₹2675/– शुल्क तथा अन्य चार्जिज के रूप में प्राप्त किए गए, जबकि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण विवरण पुस्तिका के नियम 4.1 के अनुसार उक्त छात्रा से ₹3350/– (एन0सी0सी0 फीस व टयूषन फीस को छोडकर) प्राप्त किए जाने आपेक्षित थे। इस तरह ₹675/– (₹3350–₹2675=₹675) की कम वसूली की गई। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से उक्त छात्रा से कम राशि की वसूली की गई अन्यथा कम वसूली गई ₹675/– को उचित स्त्रोत से वसूल करके छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

7 tekur jkf'k dks ^^Nk= dY;k.k fuf/k** esa gLrkarfjr u djus ckjs %&

जमानत राशि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि सत्र 2004–05 की COPA ट्रेड की छात्रा पालडन डोलमा द्वारा माह 7/05 में संस्थान छोडने के उपरान्त एक वर्ष तक अपनी जमानत ₹500/– वापिस प्राप्त नहीं की गई थी। अतः संस्थान के प्रधानाचार्य को यह परामर्ष दिया जाता है कि वह हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण विवरण पुस्तिका के नियम 4.2 के

अनुसार कार्यवाही करके उक्त जमानत ₹500/– को जब्त करने उपरान्त ''छात्र कल्याण निधि'' (सव शीर्ष) के अन्तर्गत हस्तांतरित करना सुनिष्चित करें तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी यथोचित कार्यवाही करके की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

8 LFkkbZ o vLFkkbZ lkeku dk LVkWd jftLVj vyx ls u yxkus ckjs %&

अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया था जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थाई सामान के लिए अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्थाई व अस्थाई सामान से सम्बन्धित अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाएं व सम्बन्धित रजिस्टरों में प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग पेज आबंटित किए जायें व की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 LVkWd dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk %&

अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि संस्थान के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आपेक्षित है। अतः नियमों की अनुपालना के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापना सुनिष्चित करते हुए की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 LFkkbZ oLrqvksa dk 'ks"k 'kwU; n'kkZus ckjs %&

स्टॉक रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि स्थाई वस्तुओं को जारी/फिक्स करने उपरान्त सम्बन्धित वस्तु की मात्रा स्टॉक रजिस्टर से कम करके शून्य दर्षाई थी जबकि नियमानुसार स्थाई वस्तुओं का शेष तभी कम किया जाना चाहिए जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी गई हो। अतः स्टॉक में पड़े स्थाई सामान की मात्रा को सही करने के उपरान्त भविष्य में स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

11 y?kq vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 fu"d"kZ %& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(2)465 / 2000, दिनांक षिमला171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i:thd`r %&1. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भिजवायें।

2. निदेषक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

3. आयुक्त एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

¼vuq dqekj ?kk:½